मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल द्वारा

Ph : 0755-2464428, Fax : 0755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com Web : www.mppcb.mp.gov.in

क्रमांक/85 /मॉ.शा./ फा. नं.34 RRC/2025 भोपाल, दिनांक 28/5/2025

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
पालिका भवन, शिवाजी नगर,
भोपाल - (म.प्र.)

विषयः- नदी पुनरूद्धार समिति (आर.आर.सी.) की 8वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

संदर्भः- D.O. No.Legal/ O.A. 673/2018/NMCG/2019, Dated 6th March, 2025.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्र. ओ.ए. 673/2018 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत् राज्य स्तर पर गठित नदी पुनरूद्धार समिति (आर.आर.सी.) की 8वीं बैठक दिनांक 09.05.2025 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे कक्ष क्र. ए-235, वल्लभ भवन, क्र. 02 द्वितीय तल स्थित प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन के प्रतिकक्ष में संपन्न हुई। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण कृपया पालनार्थ व आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य अभियंता, म.प्र. शहरी विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप संचालक, उद्योग संचालनालय, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, उत्तर मध्य क्षेत्र, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यवाही विवरण

विषय:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 673/2018 के पालनार्थ नदी पुनरूद्धार समिति (आर.आर.सी.) की बैठक के कार्यवाही विवरण बाबत्।

--00--

दिनांक 09/05/2025 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. ओ.ए. 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 एवं दिनांक 20.12.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित नदी पुनरूद्धार समिति (आर.आर.सी.) की आठवीं बैठक कक्ष क्र. ए-235, वल्लभ भवन, क्र.-2, द्वितीय तल स्थित प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रतिकक्ष में प्रात: 11:00 बजे संपन्न हुई। इस बैठक में नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता को देखते हुये जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग एवं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में उपस्थित हुये। भौतिक एवं वर्चुअल रूप से उपस्थित सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों की सूची संलग्नक 01 के अनुसार है।

2/- बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदी पुनरूद्धार समिति (आर.आर.सी.) के गठन, कार्य एवं सातवीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सारगर्भित प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके अनुसार:-

(1) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. ओ.ए. क्र. 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 एवं 20.12.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी को संकलित करते हुये, प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिकतम बी.ओ.डी की मात्रा के आधार पर पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस की प्राथमिकता निर्धारित की गई है, जिसमें नदियों के लिये बनाई गई कार्य योजना पर कार्यान्वयन का कार्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

.....निरंतर-02.....

(3) नदी पुनरूद्धार समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदियों के जल नमूनों में फीकल कोलिफॉर्म व स्ट्रेप्टोकोकाई का विश्लेषण किया जा रहा है।

(4) प्रस्तुतीकरण के दौरान सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के पत्र दिनांक 18.03.2025 के अनुसार नदी पुनरूद्धार समिति द्वारा प्रदेश के नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों हेतु बनाये गये एक्शन प्लान की सतत् निगरानी व उनके क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जानी है, जिसमें अन्य नदियों के साथ-साथ विशेष रूप से प्रायोरिटी– I नदियों (चंबल एवं कान्ह) पर प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाये,ताकि प्रदूषित क्षेत्रों में सुधार परिलक्षित हो।

(5) प्रस्तुतीकरण के दौरान सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में भी जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

(6) नदी पुनरूद्धार समिति की बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता – I में आने वाली पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच चम्बल एवं कान्ह नदी के लिये बनाई गई कार्य योजना व किये जा रहे कार्यों के जानकारी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार चंबल नदी में नागदा से राजगढ़ (16 कि.मी.) का क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिस हेतु नागदा शहर में 02 एस.टी.पी. क्रमश: 18 एम.एल.डी. एवं 02 एम.एल.डी. के प्रस्तावित है, जिनके टेंडरिंग की जा रही है। इसी प्रकार कान्ह रिवर निंबोली टैंक से उज्जैन तक (72 कि.मी.) का क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसमें वर्तमान में 09 एस.टी.पी. 412 एम.एल.डी. के कार्यरत् हैं तथा 03 एस.टी.पी. प्रस्तावित है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भेजी गई जानकारी **संलग्नक 02** के अनुसार है।

3/- चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) कान्ह नदी, सांवेर रोड़ में कार्यरत् CETP को आधुनिक तकनीक अनुरूप अपग्रेड किया जाये तथा इसको PPP Mode पर बनाकर संधारित किया जाये तथा उद्योगों द्वारा लगाये गये ETP को बंद कर, सभी को CETP से जोड़े जाने की संभावना पर विचार किया जाये एवं उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाये।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

.....निरंतर-03.....

(2) इण्डस्ट्रियल पार्क में उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित प्रदूषित जल के लिये PPP Mode पर CETP लगाये जाये तथा इनकी DPR तैयार की जाये तथा यदि स्थापित CETP की कार्यक्षमता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न हो तो उनको अपग्रेड किया जाये।

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(3) मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले नाले को डायवर्ट कर वाटर सप्लाई इनटेक पाइंट के बाद नदी में जोड़ा जाये ताकि वर्षा ऋतु के दौरान मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के दूषित जल का प्रभाव वाटर सप्लाई पर न पड़े।

(कार्यवाही – उद्योग विभाग)

(4) प्रदेश के नदियों, विशेष रूप से प्रायोरिटी – I नदियों (चंबल एवं कान्ह) के प्रदूषित क्षेत्रों हेतु बनाये गये एक्शन प्लान की सतत् निगरानी व उनके क्रियान्वयन की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि शहरों में स्थापित STP's में सभी घरों के कनेक्शन हो।

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(5) देवास शहर में जो STP बना है, उसमें नागधमन नाला का कनेक्शन तथा सभी घरों के कनेक्शन स्थापित किये जाये, ताकि दूषित जल क्षिप्रा नदी में प्रवाहित न हो।

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में चिन्हित पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के नदियों की जानकारी समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(7) नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों में जहाँ बाँधों के माध्यम से नदी के अविरल जल प्रवाह को रोका गया है, वहाँ न्यूनतम निरंतर प्रवाह (Minimum Lean Flow) बनाये रखा जाये।

(कार्यवाही – जल संसाधन विभाग)

(8) प्रदेश की चिन्हित नदियों (पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस) में High Flood Zone एवं अतिक्रमण के क्षेत्रों को चिन्हित कर नदी पुनरूद्धार समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही – जल संसाधन विभाग)

.....निरंतर-04.....

(9) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की तरह राज्य स्तरीय भू-जल बोर्ड बनाया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही – जल संसाधन विभाग)

(10) प्रदेश की चिन्हित नदियों (पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस) के किनारे राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण की कार्यवाही नदी पुनरूद्धार समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार की जाये एवं बायो डायवर्सिटी पार्क तथा वृक्षारोपण की जानकारी प्रतिमाह नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नियमित रूप से संभवत: माह के द्वितीय सप्ताह तक प्रेषित करें, जिससे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिमाह भेजा जाने वाला मासिक प्रगति प्रतिवेदन समय पर भेजा जा सके।

(कार्यवाही – वन विभाग)

(11) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2019 के माध्यम से गठित रिवर रिजुवेनेशन कमेटी (आर.आर.सी.) का वर्तमान परिदृश्य में पुनर्गठन किया जाना उचित होगा जिसमें डायरेक्टर (पर्यावरण) के स्थान पर सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सदस्य के रूप में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संयोजक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही – पर्यावरण विभाग)

(वर्षा सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

संलग्नक -01

बैठक में भौतिक रूप से उपस्थित अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम एवं विभाग
1.	अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र शासन
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, म.प्र शासन
3.	मुख्य अभियंता, म.प्र. शहरीय विकास विभाग, म.प्र शासन
4.	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
5.	उप सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन।
6.	उप संचालक, उद्योग संचालनालय, म.प्र
7.	अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र शासन
8.	अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, म.प्र
9.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, म.प्र

बैठक में वर्चुअल रूप से उपस्थित अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम एवं विभाग
1.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, मण्डीदीप, शहडोल, जबलपुर, रीवा, सतना, छिन्दवाड़ा, गुना